

**आवेदन प्रपत्र**

निर्योग्य व्यक्तियों को राजस्थान वित्तीय सहायता नियम, 1986 के अन्तर्गत  
सहायता स्वीकृत करने के लिये

सेवामें,

श्रीमान् उप/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं

समाज कल्याण अधिकारी

..... (जिला)

महोदय,

मैं निर्योग्य व्यक्तियों का राजस्थान वित्तीय सहायता नियम, 1986 के अन्तर्गत .....

क्रय के लिये ..... रुपये की वित्तीय सहायता के लिये आवेदन करता हूँ ।

मैं निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके आधार पर मैं सहायता को स्वीकृत के लिये पात्र होता हूँ।

1. प्रार्थी का नाम .....
2. पूरा पता .....
3. जन्म तिथि एवं स्थान (जिला व राज्य) .....
4. लिंग .....
5. शैक्षणिक योग्यता स्तर .....
6. विवाहित/अविवाहित .....
7. पिता संरक्षक का नाम व पता .....
8. वर्तमान धन्धा(आवेदक क्या करता है) .....
9. समस्त स्रोतों से मासिक आय .....
- (क) प्रार्थी की मासिक आय .....
- (ख) माता-पिता की मासिक आय .....
- (ग) संरक्षक की मासिक आय .....
- परिवार में अन्य सदस्य .....
- जैसे पुत्र आदि की आय .....
10. अशक्तता का विवरण .....
- (क) अन्धा (ख) बहरा (ग) विकलांग (घ) अंशकता वय
- (ण) शक्तता का कारण .....
11. निवेदित वित्तीय सहायता का विवरण .....
- (क) प्रारम्भिक उपकरण तथा कच्चे माल के क्रय के लिये .....
- (ख) अभ्यानुकूलित साईकिल/वाहन क्रय के लिये .....
- (ग) अन्य उपकरण आदि के लिये .....
- (घ) कृत्रिम अंग (जो लागू न हो उसे लगा दिया जावे) .....
- कुल अनुमानित व्यय .....
12. पिछले तीन वर्ष से आवेदक ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता/उपकरण/मशीन वाहन/कृत्रिम अंग या आर्थिक सहायता प्राप्त की है तो उसका पूर्ण विवरण अंकित करें ।

नोट: यदि अपंग 18 वर्ष से कम आयु के हो तो

आवेदक के हस्ताक्षर

माता-पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण गेरी जानकारी में सही है।

(नियम 7 (स) के अन्तर्गत निर्धारित  
अधिकारी के हस्ताक्षर सील सहित)

